कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बैजरौ (गढ़वाल)
Office of The Executive Engineer, Construction Division P.W.D. Baijro (Garhwal)
E-mail : eepwdbaijro@rediffmail.com, eepwdbaijro01@gmail.com

पत्रांकः— 2086/14 सी0 दिनांकः— 20/11/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग,
पौडी (गढ़वाल)

विषय— जनपद पौडी गढवाल में नौलापुर— खेतु— केदारगली— कोणागाड— घोडियाना— बीरोंखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.43 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग का प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/16722/2015)

सन्दर्भ— शासन के पत्र 1— भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय 25 सुभाष रोड देहरादून उत्तराखण्ड संख्या 08बी/यू0सी0पी0/06/130/2016/एफ0एस0सी0/1131 दिनांक 19.10.2016
2— आपका कार्यालय पत्रांक— 1582/12—1 दि0 30.10.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग का ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/16722/2015 की सैद्वान्तिक स्वीकृति सन्दर्भ 1 के द्वारा प्राप्त है। विधिवत स्वीकृति प्राप्त करने हेतु शर्तो का बिन्दुवार अनुपालन निम्नानुसार है।

क0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तन भूमि के बदले प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के सवाम्तिव के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	कार्यालय जिलाधिकारी गढ़वाल सं0 2283/8एल0ए0सी0/2019 पौडी दि0 05.07.2019 आदेश द्वारा सरकारी योजना के लिये वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि का वन विभाग के पक्ष में में नियमानुसार नामान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिलाधिकारी के आदेश की प्रति। (संलग्नक—1)
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5—3/2007—एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	इस खण्ड द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5—3/2007 एफ0सी0 दिनाक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्वा वर्तमान मूल्य (एन0पीवी0) की निर्धारित धनराशि जमा की जा चुकी है। कैम्पा कोष में दि0 11.07. 2017 को कुल रू0 1596510.00 एवं दि0 07.11.2024 को कुल रू0 846150.00 जमा किया जा चुका है, ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर धनराशि पेड प्रदर्शित हो रही है। परिवेश पोर्टल पर धनराशि पेड होने का स्क्रीनशॉट। (संलग्नक—2 व 3)
3	शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचत बद्वता प्रस्तुत की जाए।	वर्ममान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने की वचनबद्वता का प्रमाण पत्र तीन प्रतियों में संलग्न है। संलग्नक— 4
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5—3 2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियॉं प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धक तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA)के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है। उसी के माध्यम से किया जाना	इस खण्ड द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5—3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) एवं दूसरी सभी निधियॉं प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (कैम्पा) के तहत निकाय खाते में आनलाईन पोर्टल के माध्यम द्वारा चालान जनरेट कर जमा किया गया

	आवश्यक है जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।	है। जो कि, आनलाईन चंपक दिखा रहा है (प्रति संलग्न तीन प्रतियों में) परिवेश पोर्टल पर धनराशि पेड होने का स्क्रीनशॉट। (संलग्नक–2 व 3)
5	सडक निर्माण के पश्चात जहां–जहां संभव हो सडक के दोनो किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय का वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्वता प्रेषित करनी होगी।	सडक निर्माण के पश्चात जहॉ–जहॉ सम्भव हो सडक के दोनो किनारों तथा सैन्ट्रल वर्ज पर अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में स्ट्रील प्लानटेशन किये जाने की वचनबद्वता का प्रमाण पत्र तीन प्रतियों में संलग्न है। (संलग्नक–5)

उपरोक्तानुसार प्रयोक्त एजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति उपरान्त विधिवत स्वीकृति प्राप्त करने हेतु समस्त निहित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि उक्त मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवही करने की कृपा करें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

(इं0 लोकेश सारस्वत)
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
बैजरौ (गढ़वाल)

पत्रांकः– /14 सी0 दिनांकः– / /

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षण (केन्द्रीय) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय 25 सुभाष रोड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी, पौडी गढ़वाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौडी गढ़वाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– मुख्य अभियन्ता महोदय, स्तर–I, लो0नि0वि0 पौडी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– अधीक्षण अभियन्ता महोदय, 12वॉ वृत्त, लो0नि0वि0 पौडी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– सहायक अभियन्ता/खण्डीय अमीन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
बैजरौ (गढ़वाल)

	आवश्यक है जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।	है। जो कि, आनलाईन चंपक दिखा रहा है (प्रति संलग्न तीन प्रतियों में) परिवेश पोर्टल पर धनराशि पेड होने का स्क्रीनशॉट। (संलग्नक–2 व 3)
5	सडक निर्माण के पश्चात जहां–जहां संभव हो सडक के दोनो किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय का वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्वता प्रेषित करनी होगी।	सडक निर्माण के पश्चात जहाँ–जहाँ सम्भव हो सडक के दोनो किनारों तथा सैन्ट्रल वर्ज पर अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में स्ट्रील प्लानटेशन किये जाने की वचनबद्वता का प्रमाण पत्र तीन प्रतियों में संलग्न है। (संलग्नक–5)

उपरोक्तानुसार प्रयोक्त एजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति उपरान्त विधिवत स्वीकृति प्राप्त करने हेतु समस्त निहित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि उक्त मोटर मार्ग की विधिवत स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवही करने की कृपा करें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

(इं0 लोकेश सारस्वत)
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
बैजरौ (गढ़वाल)

पत्रांकः– 2086 /14 सी0 दिनांकः– 20/11/2024

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षण (केन्द्रीय) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय 25 सुभाष रोड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– जिलाधिकारी, पौडी गढ़वाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौडी गढ़वाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– मुख्य अभियन्ता महोदय, स्तर–I, लो0नि0वि0 पौडी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– अधीक्षण अभियन्ता महोदय, 12वाँ वृत्त, लो0नि0वि0 पौडी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– सहायक अभियन्ता/खण्डीय अमीन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
बैजरौ (गढ़वाल)

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय,
पिर्यसन रोड,
वन अनुसंधान संस्थान परिसर,
पो0ओ0 न्यू फॉरेस्ट ,देहरादून–248006
दूरभाष: 0135–2750809,
ईमेल / Email – moef.ddn@gmail.com

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,
FORESTS & CLIMATE CHANGE,
REGIONAL OFFICE,
Pearson Road, FRI Campus,
P.O. New Forest, Dehradun – 248006
Phone: 0135-2750809

पत्र सं0 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 130 / 2016 / एफ0सी0 /1131

दिनांक: 17 / 10 / 2016

सेवा में,
अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद – पौड़ी गढ़वाल में नौलापुर–खेतू–केदारगली–कोणागाड–घोडियाणा–बीरोंखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.430 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/16722/2015

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/16722/2015 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण पर समय–समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां / दस्तावेज online मंगवाए जाते रहे है, जिनके प्राप्त होने एवं प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद–पौडी गढवाल में नौलापुर–खेतू–केदारगली–कोणागाड–घोडियाणा–बीरोंखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.430 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.86 है0 ग्राम– टंडोला एंव बबॅासा मल्ला सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है, अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते मे **Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है**, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।
5. सडक निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् **विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तों सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी:-**

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 4.86 है0 सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अर्न्तगत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।
7. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।
8. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा।
9. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 138 से अधिक न हो।
10. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी।
11. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
13. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(एम. एस. नेगी)
वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(एम. एस. नेगी)
वन संरक्षक

अनुस्मारक–1

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

Email:-dfo_pauri_uta@yahoo.co.in , Phone/ Fax no:-01368-222215

पत्रॉकः– 1582 /12-1 : दिनॉकः पौड़ी, माह, अक्टूबर...20...2024

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बैजरो।

विषयः– जनपद पौड़ी गढ़वाल में नौलापुर–खेतु–केदारगली–कोणागाड़–घोडियाणा–बीरोंखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.43 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून की पत्र सं0 2712/FP/UK/ROAD/16722/2015 दिनॉक 27–05–2023 एवं वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी की पत्र सं0 3046/12–1, दिनांक 21–06–2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्नित पत्रों के कम में अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/130/2016/एफ0सी0/1131, दिनांक 19–01–2016 से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। परन्तु विषयगत प्रकरण में 05 वर्ष से भी अधिक का समय व्यतीत होने के पश्चात भी विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। तदनुसार भारत सरकार, पर्यावरण वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या–5-5/2011-FC(VOL-I) दिनॉक 06–01–2022 में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे प्रकरण जिनमें दिनॉक 06.01.2017 से पूर्व सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है परन्तु दिनॉक 06.01.2022 तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे प्रकरणों में एन0पी0वी0 की नई दरें लागू होंगी जिसके कम में इस कार्यालय की पत्र सं0 849/12–1, दिनॉक 02–08–2023 से आपको नई दरों के अनुसार एन0पी0वी0 की धनराशि जमा करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। परन्तु आपके द्वारा आतिथि तक धनराशि जमा नहीं की गई।

अतः आप एन0पी0वी0 की नई दरों के आधार पर अवशेष संशोधित धनराशि (24,42,660.00–15,96,510.00= रू0 8,46,150.00 (रू0 आठ लाख छियालीस हजार एक सौ पचास) की अतिरिक्त धनराशि को शीघ्र कैम्पा कोष में जमा कराते हुये इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें जिससे कि प्रकरण में यथोचित कार्यवाही हेतु उच्च स्तर को लिखा जा सके।

कृपया इसे महत्वपूर्ण समझें।

5564
08/11/24

(स्वप्निल अनिरूद्ध)
प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

पत्रांक/ 12-1 ,दिनॉकित ।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी, गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियंता, 12वां वृत्त, लो0नि0वि0, पौडी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधीक्षण अभियन्ता
अधीक्षण अभियन्ता
12 वॉं वृत्त, लो0नि0वि0
पौड़ी (गढ़वाल) / ई-मेल

08 NOV 2024

12 वाँ वृत्त लो० नि० वि०
पौड़ी गढ़वाल

(स्वप्निल अनिरूद्ध)
प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

पृ0सं0- 5564/57भात/12/14 दि0 08/11/24
प्रतिलिपि इधिशासी अभियन्ता निoखo लो०नि०वि० बैजरो को उपरोक्तानुसार तत्काल वांछित कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधीक्षण अभियन्ता
12 वॉं वृत्त, लो0नि0वि0
पौड़ी (गढ़वाल)

(Brijmohan Chauhan 2024 Demand Note Letter)

"आदेश"

उप जिलाधिकारी, धुमाकोट के पत्र संख्याः 110/अहलमद–विविध (2018–19), दि 28.03.2019 के द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत चौबट्टाखाल विधान सभा क्षेत्र नौलापुर–खेतू–केदारमली–कोणागाड–घोडियाणा–बीरौंखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अपेक्षित वन का क्षतिपूरक स्थल ग्राम रणजीत मोक्षण, पट्टी बूंगी–3, तहसील धुमाकोट के नॉन जेड0ए0 की भूमि विभाग प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्र संख्याः FP/UK/ROAD/16722/2 दिनांक 28.11.2016 के द्वारा प्राप्त हुये है, जिसकी विधिवत स्वीकृति हेतु लगायी गयी शर्तों के अ 4.860 हैक्टर राज्य सरकार की सिविल भूमि वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित की जान जिस हेतु ग्राम रणजीत मोक्षण, पट्टी बूंगी–3, तहसील धुमाकोट के श्रेणी–9(3)ड़ अन्य कृषि योग्य भूमि खसरा नं0 184 मध्ये व 1848 क्षेत्रफल 1.524 व 3.336 है0 कुल 4.860 है0 भूमि का क्षति वृक्षारोपण किये जाने हेतु उपयुक्त पायी गयी है।

2– शासनादेश संख्याः 2173/XVII(2)/2012-18(120)/2010 दिनांक 17.12.2012 के विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिये क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 20.000 है0 सिविल भूमि को वन विभाग पक्ष में नियमानुसार हस्तान्तरित किये जाने का प्रधिकारी जिलाधिकारी, को प्रतिनिधायित किया गया है

अतः जनपद पौड़ी गढ़वाल के निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बैजरों द्वारा प्रस्त पुलि नौलापुर–खेतू–केदारमली–कोणागाड–घोडियाणा–बीरौंखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अपेक्षित भूमि का क्षतिपूरक स्थल ग्राम रणजीत मोक्षण, पट्टी बूंगी–3, तहसील धुमाकोट के नॉन जेड0ए0 9(3)ड़ उत्तराखण्ड सरकार अन्तर्गत अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के खेत संख्याः 1843 कुल रक्वा 1 है0 मध्ये रक्वा 1.524 तथा खेत संख्याः 1848 रक्वा 3.336 है0 कुल 4.860 है0 भूमि जो किसी भी प्र की चारागाह व अन्य सार्वजनिक उपयोग में नहीं है को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, धुमा तदनुसार अभिलेखों में अमलदरामद की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

।। कार्यालय जिलाधिकारी गढ़वाल ।।

सं0–2283/8-LAC/2019 पौड़ी दि0–05-07-2019

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी,गढ़वाल

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. नोडल अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बैजरों।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, धुमाकोट।

कार्यालय – प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी।
पत्रांक: 157 / 12-1 दिनांक 12/07/2019।

D. Raj
(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी,गढ़वाल

प्रतिलिपि – वन क्षेत्राधिकारी दीवारेख, धुमाकोट को सूचनार्थ एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप वन संरक्षक
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

(7) WhatsApp

संलग्नक - 2

ay at 7:34 pm

PARIVESH
परिवेश

"Pro Active and Responsive facilitation by Interactive, Virtuous and Environmental Singlewindow Hub"

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Government of India

My Account ▾ My Proposals Environment Clearance ▾ Only CRZ Clearance ▾ My Proposals Forest Clearance ▾ My Proposals Wildlife Clearance ▾ Help ▾

7:33:46 PM

FP/UK/ROAD/16539/2015 Extention of Maikhuli-Devradi-Kafleth-Kathurkhal Motor Road.	ROAD165392015032	113165392015032	19 Oct 2016	CA: 1417739/- , PCA: 0/- , Safety Zone: 0/- , NPV: 2022246/- , Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 4620952/-	Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- strip plantation : 1180967/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :17 Jan 2017 Bank Name :Corporation Bank Mode of Payment :Corporation Bank (Challan) Challan Generated On :08 Jun 2017 Transaction Date :11 Sep 2017	Demand Letter Generated Challan
FP/UK/ROAD/16722/2015 construction of NAULAPUR - KHETU- KEDARGALI - KONAGAD -GHODIYANA - BIRONKHAL MOTOR ROAD	ROAD167222015919	113167222015919	19 Oct 2016	CA: 1119268/- , PCA: 0/- , Safety Zone: 0/- , NPV: 1596510/- , Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 3648120/-	Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- strip plantation : 932342/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :17 Jan 2017 Bank Name :Corporation Bank Mode of Payment :Corporation Bank (Challan) Challan Generated On :08 Jun 2017 Transaction Date :11 Jul 2017	Demand Letter Generated Challan
FP/UK/ROAD/14471/2015 Basola-Bagdiyalgaoun-samaya motor road	ROAD144712015400	113144712015400	06 Sep 2016	CA: 1442612/- , PCA: 0/- , Safety Zone: 0/- , NPV: 2057724/- , Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 4702022/-	Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- strip plantation : 1201686/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :26 Sep 2016 Bank Name :Corporation Bank Mode of Payment :Corporation Bank (Challan) Challan Generated On :27 Sep 2016 Transaction Date :20 Oct 2016	Demand Letter Generated Challan

day at 5:38 pm

संलग्नक -3

PARIVESH
परिवेश

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Government of India

"Pro Active and Responsive facilitation by Interactive, Virtuous and Environmental Singlewindow Hub"

My Account ▾ My Proposals Environment Clearance ▾ Only CRZ Clearance ▾ My Proposals Forest Clearance ▾ My Proposals Wildlife Clearance ▾ Help ▾ 5:37:51 PM

Online payment history made by User Agency under CAMPA

▿ Help

no.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (In Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
	FP/UK/ROAD/16722/2015 construction of NAULAPUR - KHETU- KEDARGALI - KONAGAD -GHODIYANA - BIRONKHAL MOTOR ROAD	ROAD167222015753	6116722753	19 Oct 2016	CA: 0/- , PCA: 0/- , Safety Zone: 0/- , NPV: 846150/- , Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 846150/- Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- Other Charges : 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :04 Nov 2024 Bank Name :Union Bank Of India Mode of Payment :NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :19 Nov 2024 Transaction Date :07 Nov 2024	Demand Letter Generated Challan
	FP/UK/ROAD/49239/2020 constrution of farsari- garkot- chhachhro motor road to gudiyalkhil malla-satyanagar malla/talla motor	ROAD492392020512	6149239512	26 Jul 2021	CA: 450464/- , PCA: 0/- , Safety Zone: 0/- , NPV: 478953/- , 0 : 0/- 0 : 0/- 0 : 0/- Total : 929417/- Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- 0 : 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :30 Mar 2022 Bank Name :Union Bank Of India Mode of Payment :Union Bank Of India (Challan) Challan Generated On :30 Mar 2022 Transaction Date :12 Apr 2022	Demand Letter

संलग्नक-4

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बैजरौ (गढ़वाल)
Office of The Executive Engineer, Construction Division P.W.D. Baijro (Garhwal)
E-mail : eepwdbaijro@rediffmail.com, eepwdbaijro01@gmail.com

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौडी गढवाल में नौलापुर– खेतु– केदारगली– कोणागाड– घोडियाना– बीरोंखाल मोटर मार्ग के निर्माण कार्य के प्रकरण में शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

(इं0 लोकेश सारस्वत)
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
बैजरौ (गढ़वाल)

संलग्नक-5

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बैजरौ (गढ़वाल)
Office of The Executive Engineer, Construction Division P.W.D. Baijro (Garhwal)
E-mail : eepwdbaijro@rediffmail.com, eepwdbaijro01@gmail.com

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौडी गढवाल में नौलापुर– खेतु– केदारगली– कोणागाड– घोडियाना– बीरोंखाल मोटर मार्ग के निर्माण कार्य के प्रकरण में सडक निर्माण के पश्चात जहां–जहां संभव हो सडक के दोनो किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय का वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जाएगी।

(इं0 लोकेश सारस्वत)
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड़, लो0नि0वि0,
बैजरौ (गढ़वाल)